

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -107/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

प्रभात चन्द्र महतो बनाम नवल किशोर महतो

03.03.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

प्रभात चन्द्र महतो पिता-श्री सिदाम महतो,
ग्राम-बासाहातु टोला बारुडीह, प्रखण्ड सह
अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची,
जाति-कुरमी, पेशा-नौकरी ।

क्रेता का नाम एवं पता -

नवल किशोर महतो पिता-सृष्टिधर महतो,
ग्राम-धानामुंजी, पो०-बनसिया, प्रखण्ड सह
अंचल-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची,
जाति-कुरमी, पेशा-खेती ।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री शिवशंकर महतो ।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-21/10/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रैता नवल किशोर महतो पिता-सृष्टिधर महतो, ग्राम-धानामुंजी, पो०-बनसिया, प्रखण्ड सह अंचल-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बनसिया	सिल्ली/40	73	2424	0.21 ए० चौहद्दी:- उ०-विक्रेता का नीज । द०-क्रैता का नीज या सीमाना मौजा-धानामुंजी । पू०-क्रैता का नीज । प०-सुरेन्द्र नाथ महतो ।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-13(ii) दिनांक-11/01/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत डोमना महतो वो बैजनाथ महतो पे०-शम्पत कुरमी वो मोहन महतो वो सोहन महतो वो घासु महतो पे०-बहीरा महतो के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध बिक्रेता-क्रैता/माता-पुत्र का है।

(3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम सम्पति देवी वो शैल्य देवी है। तथा रैयत के पास रकबा-1.20 एकड़ खरिदगी भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021-22 तक वसूली गयी है।

- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध माता-पुत्र का है। तथा द०ख० सं० 25R27/91-92 के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-99 डी० खरिदगी भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता प्रभात चन्द्र महतो पिता-श्री सिदाम महतो, ग्राम-बासाहातु टोला बारुडीह, प्रखण्ड सह अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-नौकरी, को क्रेता नवल किशोर महतो पिता-सृष्टिधर महतो, ग्राम-धानामुंजी, पो०-बनसिया, प्रखण्ड सह अंचल-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-21/10/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता प्रभात चन्द्र महतो पिता-श्री सिदाम महतो, ग्राम-बासाहातु टोला बारुडीह, प्रखण्ड सह अंचल-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-नौकरी, को क्रेता नवल किशोर महतो पिता-सृष्टिधर महतो, ग्राम-धानामुंजी, पो०-बनसिया, प्रखण्ड सह अंचल-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बनसिया	सिल्ली/40	73	2424	0.21 ए० चौहद्दी:- उ०-विक्रेता का नीज। द०-क्रेता का नीज या सीमाना मौजा-धानामुंजी। पू०-क्रेता का नीज। प०-सुरेन्द्र नाथ महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)